रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 1993/भाद्र 10, 1915
No. 299] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 1993/BHADRA 10, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1993

सा. का. नि. 583(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन [न्या]स कर्मचारी (कल्याण निधि) (पहला संशोधन) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. एच–11011/6/91–पी. ई.-I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि विनियमावली, 1990 में सुधार करने के लिए, निम्नलिखित विनियम तैयार किए हैं:—

(1) संक्षिप्त शीर्षक : इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम "जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी कल्याण निधि (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1993" है

(2) विनियमावली की संख्याएं निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित की जाएंगी:—

वर्तमान संख्या	प्रतिस्थापित संख्या
I	1
II	2
III	3
IV	4
V	5
VI	6
VII	7
VIII	8

(3) विनियम 1 में—

(1) खण्ड (ख) निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित होगा:—
"(ख) वे सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे";

(2) खण्ड (ग) नहीं रहेगा ।

(4) विनियम 5 में :—

(1) खण्ड (क) में प्रयुक्त हुई संख्या "4" के स्थान पर संख्या "3" होगी;

(2) खण्ड "ग" का उप-खण्ड "छ" निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित होगा—
"कर्मचारियों के लिए खेल, प्रतियोगिता आदि, नाटक, संगीत और सिनेमा, प्रार्थना सभाएं, भक्ति गीत इत्यादि के आयोजन के लिए अनुदान।"

पाद टिप्पणी:—प्रधान विनियमावली भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग-II के खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) में जी. एस. आर. सं. 945(अ) के अंतर्गत दि. 12 दिसम्बर, 1990 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1993

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Welfare Fund) First Amendment Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. H-11011|6|91-PE.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the power conferred by Clause (b) of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the JNTP hereby makes the following Regulations to amend the JNPT Employees Welfare Fund Regulations, 1990 :—

1 .Short title :—These Regulations may be called the JNPT Employees Welfare Fund (First Amendment) Regulations, 1993.

2. Numbers of Regulation may be substituted as follows :—

Existing No.	Substituted No.
I	1
II	2
III	3
IV	4
V	5
VI	6
VII	7
VIII	8

3. In Regulation 1 :—

(i) Clause (B) shall be substituted as follows :—

"(B) They shall apply to all employees".

(ii) Clause (C) shall be deleted.

4. In Regulation 5 :—

(1) The figure "4" appearing in Clause (A) may be substituted by the figure "3".

(2) Sub-clause "f" of Clause "C" may be substituted as follows :—

"Grant for conducting Sports, competition etc., Dramas, music and film shows, prayers, devotional songs etc., for employees."

FOOT NOTE :—The Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR No. 945(E), dated 12th December, 1990.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993